फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रतनलाल बनाम पेमीदेवी

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर....5..../2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.8.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी उपस्थिति। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्ध हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि वाके रोही शेरूणा के खसरा नम्बर 74 तादादी 16.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 112 तादादी 8.46 हेक्टर स्थिति है। उक्त भूमि अपीलांट की कोपार्सनरी सम्पति है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलांट के बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है। इस हेतु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–03–2016 को वादगत् भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में मानते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उन्होनें आगे बताया कि अदालात मातहत द्वारा दिनांक 16–05–2018 को उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया था। तत्पश्चात् उक्त आदेश पर अंकित पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर को कटाते हुए पुनश्चः करते हुए अंकित किया गया कि उपभय पक्ष उपस्थिति नहीं आये। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02–07–2018 को पेश हो। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा बिना विस्तृत विवेचन अंकित किये उभय पक्षकारों की उपस्थिति दर्शाते हुए यह अंकित किया गया कि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई	

राजस्व अपील अधिकारी

अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश केवल मात्र रेस्पोडेनट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से पारित किया गया है। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञाके तीन महत्वपूर्ण इन्गिडेनट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है।

अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि वादगत् भूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल किया गया या अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक रूप से पेचिदगियॉ उत्पन्न होंगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलां का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 30–07–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में हमने पत्रावली के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–03–2016 को वादगत् भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में मानते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की अवधि निरन्तर बढ़ाई जाती रही है।

तत्पश्चात् अदालात मातहत द्वारा दिनांक 16–05–2018 को उभय पक्षों को वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करते हुए पत्रावली का निस्तारण करते हुए पत्रावली बाद तक्मील दाखिल दफतर किये जाने के आदेश प्रदान किये गये व अंकित किया गया कि निर्णय दिनांक 16–05–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पत्रावली का निस्तारण दिनांक 16–05–2018 को किया जा चुका था।

तत्पश्चात् अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर को काटाते हुए पुनश्चः करते हुए अंकित किया गया कि उपभय पक्ष उपस्थिति नहीं आये। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02–07–2018 को पेश हो। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वमेव के निर्णय को परिवर्तित करते हुए तत्पश्चात् दिनांक 30–07–2018 को बिना विस्तृत विवेचन अंकित किये उभय पक्षकारों की उपस्थिति दर्शाते हुए यह अंकित किया गया कि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही पत्रावली पर दो भिन्न–भिन्न निर्णय पारित किये गये है। जो अपने आप में विरोधाभासी है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी पक्षकार को लाभ नहीं पहुँचना है बल्कि अनावश्यक रूप से विवाद को जन्म दिया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना विधि प्रकिया अपनाये ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नियमानुसार हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक लाभ पहॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत का उक्त कृत्य एक प्रकार से न्यायिक प्रकिया का माखौल उड़ाने जैसा है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्याय की यह मंशा है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा विधिक रूप से व प्रकिया को अपनाते हुए किया जावे ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में जाने से बचाया जा सके। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्याय का गला घोटतें हुए व न्यायिक प्रकिया का अवहेलना करते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरढ़ का आदेश दिनांक 30–07–2018 निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक अदालत मातहत द्वारा जारी आदेश दिनांक 21–03–2016 जिसके माध्यम से वादगत् भूमि वाके रोही शेरूणा के खसरा नम्बर 74 तादादी 16.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 112 तादादी 8.46 हेक्टर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के अदेश प्रदान किये गये थे, को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner